



HAR PAL TIMES

हर पल टाइम्स

RNI NO. MAHHIN/2011/24374

► वर्ष : १० ► अंक : १९ ► मुंबई, शुक्रवार, ८ जनवरी से १४ जनवरी २०२१ ► पृष्ठ : ४ ► मुल्य : २/- रु.

**मुंबई, दिल्ली, राजस्थान, मध्यप्रदेश, कर्नाटका, आंध्रप्रदेश, गुजरात, झारखण्ड, चेन्नई, कलकत्ता
जानेवाला अखबार, (०७४९८५३५२८६ आपकी समस्या के लिए इस नंबर पर संपर्क करें)**

ट्रैक्टर रैली
के जरिए
किया शक्ति
प्रदर्शन

ये तो बस ज्ञांकी है, कानून वापस नहीं हुए तो 26 को निकालेंगे परेड : किसान



नई दिल्ली,
पिछले लागत खराब डेढ़ महीने से किसान केंद्र के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर अडिग हैं। वहीं सरकार भी कदम पांचे नहीं करना चाहती। ऐसे में विरोध में किसानों का हल्लाबोल जारी है। सरकार के साथ किसानों की सात दौर की वार्ता बेनतीजा रही थी, इसलिए किसानों ने अपने अंदोलन को तेज कर दिया है और आज राजधानी की सीमाओं पर ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। गाजियाबाद के यूपी गेट पर प्रदर्शन

कर रहे किसान आज यानी गुरुवार सुबह 135 किमी लंबे ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे पर ट्रैक्टरों की अनुमति नहीं है। भीषण ठंड, बारिश के बावजूद पंजाब, हरियाणा और देश के कुछ अन्य भागों के हजारों किसान ट्रैक्टरों 40 दिनों से ज्यादा समय से दिल्ली की अलग-अलग सीमाओं पर डटे हुए हैं। किसान कृषि कानूनों को निरस्त करने, फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानूनी गारंटी देने तथा अन्य मुद्रों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों और तीन

केंद्रीय मंत्रियों के बीच सोमवार को हुई बैठक बेनतीजा रही थी क्योंकि किसान तीनों कानूनों को निरस्त करने की अपनी मांग पर डटे हुए हैं। राष्ट्रीय राजधानी की सीमाओं पर किसानों के आने के बाद से दिल्ली यातायात पुलिस अपने आधिकारिक ट्रिक्टर हैंडल से शहर में सड़कों के बंद होने के बारे में लोगों को लगातार सूचनाएं दे रही है। - यूपी गेट पर भाकिय (अम्बावता) गुट ने 10 जनवरी को महापंचायत की घोषणा की। (शेष पेज 2 पर)

यह कहानि नहीं हकिकत है

- किसानों को 40 दिन होने जा रहे हैं और 60 से ज्यादा जाने चली गई मगर सरकार पर कोई असर नहीं।
- देश के हालात दिन बदिन खराब हो रहे हैं, पुरे हिंदुस्तान में एक ही बात किसानों का मामला कब होगा खत्म, अफसोस नेशनल चॉनल छोटी खबरों को बढ़ावा दे रहे हैं और जो कि सानों की हकिकत और उनकी मुश्किलों को सामने नहीं लाया जा रहा है।
- किसानों की समस्या पुरे दुनिया में पहुंच रही है और हमारे सरकार पर असर नहीं हो रहा है।

1) हमारा बड़ा सवाल, क्या पुरे हिंदुस्तान की जनता किसानों को पुरी तरह साथ देंगी।

2) सरकार वैक्सीन कि किंमत लेंगी या मुफ्त में दि जायेगी? और वैक्सीन से नुकसान होता है तो क्या सरकार जवाबदार होगी?

3) हम चाहते हैं कि सबसे पहले किसानों के तीन कानूनवाला मामला तय करें सरकार वरना देश के हालात खराब हो जाएंगे।

4) देश में रोजगार की जरूरत है और समाज की जरूरतों को पुरा करें सिर्फ बयान देने से काम नहीं चलेगा राशन भी देना होगा।

5) मुंबई में लोकल ट्रेन जल्द से जल्द शुरू कर दी जाए और हर राज्यों में जाने वाली ट्रेनों को भी शुरू होनी चाहिए और खास बात तिकिट के दाम ज्यादा से ज्यादा लिए जा रहे हैं इस पर ध्यान दे सरकार।

हिंदुस्तान की जनता ज्यादा समझदार है सरकार को ज्यादा समझाने की काई जरूरत नहीं।



Har pal tv news.
cmw.in.chief news
Editor.Jameel g
khan.Mumbai India.

केंद्र सरकार पर बरसीं हरसिमरत कौर पीएम मोदी को किसानों से करनी चाहिए बात : हरसिमरत कौर

नई दिल्ली, सरकार और प्रदर्शनकारी किसान संगठनों के बीच आठवें दौर की बातचीत के एक दिन पहले शिरोमणि अकाली दल की नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री



हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि केंद्र समूचे किसान समुदाय का भरोसा खो चुका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आंदोलनकारी किसानों के साथ सीधे बातचीत करनी चाहिए। किसानों की पीड़ा पर अपना दुख प्रकट करते हुए बादल ने कहा, यह अजीब है कि किसान कंपकंपा देने वाली ठंड में खुले में रातें गुजार रहे हैं और बहरे कानों तक उनकी आवाजें नहीं पहुंच पा रही हैं। लोकसभा में तीनों कृषि कानून पारित होने के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वालीं बादल ने पीटीआई-भाषा को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि पिछले ४८-सात हप्ते में किसानों ने जो सामना किया है, केंद्रीय मंत्री रहते हुए उन्हें भी इसका सामना करना पड़ा था। उन्होंने कहा, ... अब जो स्थिति पैदा हुई है और विरोध हो रहा है, इससे बचने के लिए मैं महीनों तक मंत्रिमंडल की बैठकों में या केंद्र सरकार के शीर्ष नेताओं के साथ सीधी वार्ता में यह कहती रही कि तीनों विधेयक लाने के पहले एक बार किसानों की बात सुन लीजिए क्योंकि वे देश के अनन्दाता हैं। अन्यथा आंदोलन होगा, लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे। लेकिन बहरे कानों तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पाइ। (शेष पेज 2 पर)

पेट्रोल-डीजल की कीमतें 73 साल में सबसे ज्यादा, यूपीए सरकार के बराबर लगे टैक्स: सोनिया गांधी

नई दिल्ली, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोत्तरी को लेकर गुरुवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि इन दोनों पेट्रोलियम उत्पादों पर उत्पाद शुल्क को कम करके यूपीए सरकार के समय की दरों के बराबर किया जाए ताकि देश के लोगों को राहत मिल सके। उन्होंने सरकार से



(शेष पेज 2 पर)

आज का पत्रकार समर्थाओं से परेशान

6 जनवरी को पत्रकार दिवस था, पत्रकार दिवस पर पत्रकारों को खुशी होती है अफसोस के 6 सालों से पत्रकारिता बदल गई है। अच्छे पत्रकारों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। 6 सालों में नवे पत्रकारों ने जो न्यूज लगा रहे हैं उससे जनता पर खराब असर हो रहा है, हम सिनियर पत्रकारों की सच्ची खबरों को जनता के सामने लाने में बड़ी मुश्किल हो रही है। प्रेस का जो पावर है उसको दबाने की कोशिश की जा रही है। अच्छे चैनलों पर भी परेशानी हो रही है। खास बात यह है जो चैनलों को नेताओं का सपोर्ट मिल रहा है वही न्यूज बताते हैं और वो नेता के हित में होती है। आज देश में जो हालात है उस पर सरकार की ध्यान नहीं है। आज कल अच्छे पत्रकार सच्ची खबरों को सामने लाकर बताने में दिक्कत हो रही है और जनता की हाकिकत नहीं बतायी जा रही है तो उस पर लोगों का ध्यान हट जाता है, लेकिन हमारे देश में कहीं लोग ऐसे भी हैं जो अच्छे पत्रकारों को पसंद करते हैं। आज भी जनता से गुजारी है, अच्छे पत्रकारों का साथ दें। आप की कोई भी समस्या या खबर हो तो इस नंबर पर 7498535286 वॉट्सअप कर सकते हैं। क्विडिओ ऑरिजनल होना चाहिए और आपका फोन नंबर भी जरूरी है।

मुम्बई की मेयर को दी थी जान से मारने की धमकी, गुजरात से गिरफ्तार हुआ आरोपी

मुम्बई, मुम्बई की महापौर और शिवसेना नेता किंशारी पेडनेकर को जान से मारने की धमकी देने के आरोप में बुधवार को एक व्यक्ति को गुजरात के जामनगर से गिरफ्तार किया गया। मुंबई पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मुंबई पुलिस की टीम को फोन करने वाले की लोकेशन जामनगर मिली, जिसके बाद स्थानीय पुलिस की मदद से आरोपी को गिरफ्तार किया गया। अधिकारी ने बताया कि पुलिस की टीम आरोपी को लेकर गुरुवार को मुंबई पहुंच सकती है। पुलिस के एक अन्य अधिकारी ने बताया कि महापौर को पिछले साल 21 दिसम्बर को उनके मोबाइल फोन पर एक व्यक्ति ने फोन कर हिंदी में अभद्र शब्द कहे और जान से मारने की धमकी दी। अधिकारी ने पत्रकारों को बताया कि पेडनेकर ने हाल ही में दक्षिण मुम्बई के आजाद मैदान पुलिस थाने में एक शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि आईपीसी की धारा 506-क्र के तहत मामला दर्ज किया गया है और मामले की जांच जारी है। पेडनेकर 2019 नवम्बर में महापौर चुनी गई थीं।

मुंबई में आलू, प्याज के बोरों में हो रही इग्स की सप्लाई, 106 किलो गांजा जब्त

मुंबई,
इग्स माफियाओं ने मुंबई में इग्स की सप्लाई के लिए अलग-अलग मोड़स आँपरेंडी अपनाई है। अब पता चला है कि ये लोग आलू, प्याज के बोरों के जरिए भी शहर में इग्स लाते हैं। डीसीपी दत्ता नलावडे ने बताया कि उनकी टीम ने तीन आरोपियों इशरत सिद्दीकी, अफरोज सिद्दीकी और आनंद तरडे के पास से 106 किलो गांजा जब्त किया है। इसकी बाजार में कीमत करीब 21 लाख रुपये है। पुलिस ने वह टेम्पो भी अपने कब्जे में लिया है, जिसमें यह गांजा मिला था। टेम्पो धुले से आया था। उसमें आलू व प्याज के कई दर्जन बोरे रखे हुए गए थे। उन बोरों के बीच इस ड्रग को इस तरह छिणाया गया था कि किसी को शक न हो, लेकिन बांद्रा एंटीनार्कोटिक्स सेल के सीनियर इंस्पेक्टर अनिल वाढवणे को किसी ने इस टेम्पो के विक्रीली में होने की टिप दे दी। इसी के बाद जब आलू, प्याज के बोरे उत्तरवाए गए, तो यह इग्स मिली। जांच में पता चला कि ड्रग माफियाओं द्वारा ओडिशा और असम से इग्स की सप्लाई धुले तक होती है। वहां से फिर इसकी मुंबई में तस्करी होती है। जांच अधिकारी इस एंगल से भी केस की जांच कर रहे हैं कि कहाँ नक्सली तो इस इग्स तस्करी के पीछे शामिल नहीं हैं।



महाराष्ट्र शासन

संस्मरण 'दर्पण' कार का



आचार्य बालशास्त्री जांभेकर
(१८१२-१८४६)

'दर्पण' कार
आचार्य बालशास्त्री जांभेकर जी की
स्मृति को विनम्र अभिवादन!

६ जनवरी

पत्रकार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ!

उद्घव बाळासाहेब ठाकरे
मुख्यमंत्री

अजित पवार
उप मुख्यमंत्री

बाळासाहेब थोरात
मंत्री, राजस्व

सूचना एवं जनसंपर्क महानिदेशालय, महाराष्ट्र सरकार

सुप्रीम कोर्ट ने
केंद्र से पूछा

क्या कोविड-19 से सुरक्षित हैं किसान? तबलीगी जमात जैसे न हो जाएं हालात

नई दिल्ली।

सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना महामारी के बीच तीन कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे किसानों को लेकर चिंता जताते हुए गुरुवार को केन्द्र से पूछा कि क्या ये किसान कोरोना सक्रमण से सुरक्षित हैं। तबलीगी जमात का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा कि कोरोना पर अंकुश पाने के लिए बने दिशानिर्देशों का पालन होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल इस महामारी पर काबू पाने के लिए लागू हुए लॉकडाउन के दौरान आनंद विहार बस अड्डे और निजामुदीन मरकज में तबलीगी जमात के आयोजन में बड़ी संख्या में लोगों के एकत्र होने की घटना

की सीबीआई जांच के लिए दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान कोरोना वायरस से किसानों की सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त की। केंद्र सरकार दो सप्ताह में दाखिल करेगी रिपोर्ट चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे, जस्टिस ए.एस. बोपन्ना और जस्टिस वी. रामास-ब्रमण्यम की बीच ने सुनवाई के दौरान केन्द्र से कहा कि आपको हमें बताना चाहिए कि क्या हो रहा है। किसानों के आंदोलन से भी वैसी ही समस्या पैदा होने जा रही है। हमें नहीं मालूम कि क्या किसान कोविड से सुरक्षित हैं? वहाँ समस्या फिर पैदा होने जा रही है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ बीत गया है। कोर्ट ने केन्द्र की ओर से पेश वकील ओम प्रकाश परिहार ने कहा कि मौलाना साद के बारे में

मेहता से जानना चाहा कि क्या विरोध प्रदर्शन कर रहे किसान कोविड-19 से सुरक्षित हैं? इस पर मेहता ने जवाब दिया कि निश्चित ही ऐसा नहीं है। मेहता ने कहा कि वह दो सप्ताह के भीतर एक रिपोर्ट दाखिल करके बताएंगे कि क्या किया गया है और क्या करने की जरूरत है? यह याचिका वकील सुनिधि पंडित ने दायर की है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि दिल्ली पुलिस बड़ी संख्या में लोगों को एकत्र होने से नहीं रोक सकी और निजामुदीन मरकज का मुखिया मौलाना साद अभी तक गिरफ्तारी से बच रहा है। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ओम प्रकाश परिहार ने कहा था कि लॉकडाउन के दौरान तुषार



संख्या में लोगों के एकत्र होने और तबलीगी जमानत के कार्यक्रम के आयोजन की घटनाओं की दिल्ली पुलिस जांच कर रही है और इसमें सीबीआई जांच की आवश्यकता नहीं है। इससे पहले, गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस द्वारा साल 28 मार्च को आनंद विहार बस अड्डे और गाजीपुर सीमा पर एकत्र हो गए थे।

धर्म का अधिकार जीवन के अधिकार से ऊपर नहीं : कोर्ट

चेन्नई,

धर्म का अधिकार जीवन के अधिकार से ऊपर नहीं है।

मद्रास हाई कोर्ट ने यह टिप्पणी करते हुए तमिलनाडु सरकार से राज्य में एक मंदिर में



कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए और लोगों के स्वास्थ्य से समझौता किए बिना अनुष्ठानों के आयोजन की संभावना तलाशने को कहा।

एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस संजीव बनर्जी ने बुधवार को कहा, धार्मिक संस्कारों को सार्वजनिक हित और जीवन के अधिकार के अधीन होना चाहिए। धर्म का अधिकार जीवन के अधिकार से ऊपर नहीं है। यदि महामारी की स्थिति में सरकार को कुछ उपाय करने हैं, हम हस्तक्षेप नहीं करना चाहेंगे।

चीफ जस्टिस बनर्जी और जस्टिस संथिल कुमार रामामूर्ति ने सरकार को निर्देश दिया कि तिरुचनापल्ली जिले में स्थित श्रीरंगम रंगानाथस्वामी मंदिर में कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए त्योहारों और अनुष्ठानों के आयोजन की संभावना की तलाश करें। याचिकाकर्ता, रंगाराजन नरसिंहन ने हिंदू

धार्मिक और धर्मार्थ विभाग को निर्देश देने की मांग की कि प्राचीन श्रीरंगम मंदिर में उत्सवों और अनुष्ठानों का नियमित रूप से आयोजन किया जाए। चीफ जस्टिस ने यह भी याद दिलाया कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने महामारी के दौरान भीड़ कम रखने के लिए दुर्गा पूजा त्योहार के नियमन का आदेश दिया था। मंदिर प्रबंधन की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील सतीश परासरन ने कहा कि महामारी के दौरान कुछ त्योहार मनाए गए लेकिन अलग-अलग तारीख पर। अदालत ने सरकार को निर्देश दिया कि धार्मिक प्रमुखों से परामर्श करके यह जांचें की लोगों के स्वास्थ्य से समझौता किए बिना उत्सव आयोजित करने की संभावना क्या है। अदालत ने राज्य को एक विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा और मामले को छह सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया।

मुंबई

महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार को सत्ता पर काबिज हुए एक साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। इस दौरान महाराष्ट्र में 2270 किसानों ने आत्महत्या की है, उनमें से 40% से ज्यादा यानी 920 किसान मुआवजे के हकदार थे। यह आंकड़ा साल 2020 के जनवरी महीने से लेकर नवंबर तक का है। हालांकि यह संख्या साल 2019 के आंकड़ों से कम बताई जा रही है। साल 2019 में 2566 किसानों ने आत्महत्या की थी। मुआवजे के हकदार थे

किसान

आरटीआई एक्टिविस्ट जितेंद्र घाडगे की निकाली गई जानकारी पर गौर करें तो यह पता चलता है कि जिन 2270 किसानों ने आत्महत्या की है, उनमें से 40% से ज्यादा यानी 920 किसान मुआवजे के हकदार थे।

यह जानकारी महाराष्ट्र के राजस्व मंत्रालय की तरफ से आरटीआई के तहत दी गई है। सरकार कर्ज में डूबे किसानों को मुआवजा देती है। अक्सर यह मुआवजा उनके परिजनों को

मिलता है जो तकरीबन एक लाख रुपये तक होता है। जानकारी के अनुसार आधे से ज्यादा किसान विदर्भ इलाके के हैं। जिसे महाराष्ट्र की कॉटन बेल्ट के रूप में भी जाना जाता है। इस इलाके से तकरीबन 1230 किसानों ने आत्महत्या की है। मराठवाड़ा के सूखे इलाके वाली जगहों पर 693 किसानों ने आत्महत्या की है। जबकि उत्तर महाराष्ट्र में यह आंकड़ा 322 किसानों का है। पश्चिम महाराष्ट्र जिसे शुगर बेल्ट के नाम से भी जाना जाता है वहाँ

आत्महत्या के 25 मामले दर्ज हुए हैं। जबकि कोंकण इलाके में एक भी सुसाइड सामने नहीं आया है। किसान नेता अजित नवले ने बताया कि सरकार ने किसानों की फसल को बीते सालों के मुकाबले इस वर्ष अधिक मात्रा में खरीदा है। बावजूद इसके किसानों को अपनी फसल स्थानीय व्यापारियों को बेचनी पड़ी। जिसकी वजह से किसानों को केंद्र सरकार की कृषि सम्मान योजना और राज्य की कर्ज माफी स्कीम का फायदा नहीं मिल पाया।

बिहार की आर्थिक स्थिति सुधारी, इसमें महिलाओं की बड़ी भूमिका



दमगड़ा पहुंचे। स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत जीविका के कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम में जीविका दीदियों को संबोधित करते हुए कहा कि जल जीवन हरियाली अभियान के तहत तालाब का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। अने वाले समय में इन तालाबों की देखभाल की जिम्मेदारी जीविका दीदी को सौंपी जाएगी। उन्होंने कहा कि बिहार की आर्थिक स्थिति सुधारी है। इसमें महिलाओं की बड़ी भूमिका है। महिलाओं में जागृति आई है पढ़ाई से लेकर कमाई के क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं।

हर पल टाईम्स व हरपल टीवी न्यूज़

HAR-PAL TIMES
THE TIME BEGINS NOW

Pagd. RNI. NO-MAHHIN/2011/24374
Govt. of India
PAN CARD NO. BIVPK 4141H
(Hindi Weekly)

Jameel G Khan
Chairman & Chief News Editor
+91-7021425442

HAR-PAL T.V. NEWS

Crime Investigation News

Website : www.crimeinvestigationharpalv.com / Email : harpaltimes.press@gmail.com
Mumbai Office : 2-B, Nityanand Nagar, KC Marg, Opp. Reclamation Bus Depot, Behind ONGC Colony, Next to Lilavati Hospital, Bandra (W), Mumbai - 400 050.

आपकी न्यूज़ इस हॉटसाप नंबर पर 7498535286 भेजें
कम से कम फीस में इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया की ट्रेनिंग दी जा रही है..

मालक, मुद्रक, प्रकाशक वसीम जे. खान ने शिरनाजी प्रिंट, एम.एल. कॅम्प, चैंबूर, मुंबई - ४० ००८९ से छपवाकर, प्लॉट नं. २५ डी/ १.

शिवाजी नगर, गोवंडी, मुंबई - ४० ००४३ से प्रकाशित किया। संपादक: वसीम जे. खान. RNI NO:- MAHHIN/2011/24374

Email--harpaltimes.press@gmail.com 074985 35286 (सभी विवाद निपटारे के लिए न्यायक्षेत्र मुंबई, महाराष्ट्र होगा।)